

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410,

दिनांक :- 8/5/2020

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/20-21/ ५११६

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :- Compliance report of construction of BT road from  
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7127/2014 (01.14ha.)  
Mamli Laxmipura To Patpadi RRSMP scheme in  
Rajasthan.

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर का पत्र क्रमांक व  
दिनांक 16.09.2019 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
राज. जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.09.2019 से लगाये गये आक्षेपो की यूजर एजेन्सी  
द्वारा पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 25.02.2020 से पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित  
की गई है :-


क्र.सं.	EDS dated 16-09-2020	Reply EDS
बिन्दु संख्या 1	उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्ताव में एन.पी.वी गणना आनलाईन संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्ताव में एन.पी.वी गणना पूर्व में भी आनलाईन संलग्न कर दी गई थी। पुनः प्रति संलग्न है।
बिन्दु संख्या 2	उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र आनलाईन संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र पूर्व में भी आनलाईन संलग्न कर दिया गया था। पुनः प्रति संलग्न है।
बिन्दु संख्या 3	उप वन संरक्षक बारां द्वारा अपने पत्र में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना पाया गया है किन्तु उक्त की पूर्ति आनलाईन पार्ट में पूर्ति नहीं की गई है एवं स्थानीय अधिनियम में प्रयोक्ता अभिकरण के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अंकित नहीं है पूर्ण तथ्यात्मक विवरण मय स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सहित आनलाईन अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना पाया गया है उक्त की पूर्ति आनलाईन पार्ट में पूर्ति कर दी गई है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के खिलाफ तत्काल समय में वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्ण तथ्यात्मक विवरण मय नवीनस्थल निरीक्षण रिपोर्ट सहित आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
बिन्दु संख्या 4	उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की आनलाईन प्रति संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की आनलाईन प्रति संलग्न कर दि गई है।
बिन्दु संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा आवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिये गये है।

बिन्दु संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न विकल्पों का परीक्षण किया जाकर विषलेषण रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है।	यूजर एजेन्सी द्वारा विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर विषलेषण रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
बिन्दु संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लागत लाभ विषलेषण विवरण भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 1.8.2017 के अनुसार नहीं है प्रस्ताव 20 हैक्टर से कम है अतः लागत विषलेषण लागू नहीं है।	यूजर एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विषलेषण विवरण पोर्टल से हटा दिया गया है।
बिन्दु संख्या 8	प्रस्ताव में दी गई गैर वन भूमि के आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।	यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई गैर वन भूमि के आदेश की प्रति संलग्न कर दी गई।
बिन्दु संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धताओं में प्रस्ताव संख्या, प्रस्ताव का नाम, प्रत्यावर्तित वन भूमि, दिनांक अंकित नहीं है एवं आवेदक का नाम एवं मुहर अंकित नहीं है।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धताओं में प्रस्ताव संख्या, प्रस्ताव का नाम, प्रत्यावर्तित वन भूमि, दिनांक अंकित कर दिये गये हैं एवं आवेदक का नाम एवं मुहर भी अंकित कर दिये गये हैं।

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।


भवदीय

  
(राजीव कपूर)  
उप वन संरक्षक  
बारां  
दिनांक :-

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवसं/20-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

  
(राजीव कपूर)  
उप वन संरक्षक  
बारां

**Deputy Conservator of Forests, Baran (Rajasthan)**

**DETAILS OF AMOUNT OF NPV TO BE DEPOSITED**

As per the Order dated 05/02/2009, MoEF, Government of India Rates for NPV, ECO Class-III (Open Forest) is Rs. 6, 26,000/- Per Hectare.


Hence Total NPV Amount for Construction of Mamli Laxmipura to Patpadi Road Project ,District-BARAN (Raj) .

(Proposal No. : **FP/RJ/ROAD/7127/2014** is:

1.14ha x 6, 26,000/- =**Rs.7,13,640/-** (Rupees Seven lakhs Thirteen thousand Six Hundred Fourty only)

**Place:Baran**

**Date: 06.05.2020**

(Signature)   
Name...**(राजीव कुमार)**  
Designation...**वन सहायक**  
Official Seal...**बारों**....

**Full Title of the Project:** Mamli Laxmipura to Patpadi 1.14 ha FP/RJ/ROAD/7127/2014  
OF Forest land for upgradaiton Road in BARAN forest DIVISION.  
**File No.** FP/RJ/Road/7127/2014  
**Date of Proposal:** 04.09-2014

**CHECK LIST SERIAL NUMBER: 20**

**“LAND SUITABILITY CERTIFICATE for Part II - 26.329 ha”**

This is to certify that 1.14 ha. Non Forest land of forest block Niyana bear  
Survey NO138 No. **Compartment -NO** of village **Bilandi** Tehsil **Anta** Dist  
**Baran** is identified for Compensatory Afforestation (NFL) is suitable for plantat  
from management point of view and is free <sup>from</sup> and all sorts of encumbrances  
encroachments.

**Place:** Baran  
**Date:** 06.05.2020

(Signature)  
Name .....  
Designation .....  
Official Seal.....

(राजीव कपूर)  
रूप वन संरक्षक  
बारां

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

विषय :- Construction of B.T Road from Mamli Laxmipura to  
patpadi 1.14ha FPAR/ROAD 7127\2014 of Forest land  
for upgradation Road In Baran Forest Division

संदर्भ :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नाहरगढ़ क्षेत्र में मामली-लक्ष्मीपुरा से पटपडी के मध्य रोड परियोजना में चेनेज 0/810 से 1/950 तक वन क्षेत्र होने के कारण 1.14 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये दिनांक 13.09.2014 का ऑनलाइन आवेदन किया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त परियोजना के तहत प्रस्तावित रोड के गैर वन क्षेत्र में रोड निर्माण का कार्य जुलाई 2015 में कर लिया गया था। वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के बीच वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर 1.14 है० वन भूमि में सड़क निर्माण कार्य करवा दिया गया है। जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि धारा 3 बी के उल्लंघन की श्रेणी में आता है

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 29.01.2018 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3 बी के उल्लंघन के फल स्वरूप उल्लंघनकर्ता एजेन्सी से जनहित की योजनाओं में अन्तिम स्वीकृति जारी होने तक प्रत्येक वर्ष हेतु एन.पी.वी. की राशि 20 प्रतिशत अधिकतम 5 वर्षों तक लिया जाने का प्रावधान है। चूंकि प्रकरण में अभी तक सैद्धान्तिक स्वीकृति भी जारी नहीं हुई है। अतः प्रस्तावित 1.14 है० वन भूमि हेतु दुगुनी एन.पी.वी. की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली योग्य है तथा प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारी जो कि उक्त उल्लंघन के समय पद स्थापित थे के विरुद्ध राज्य सरकार स्तर से जांच अपेक्षित है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के समय पदस्थापित अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं.	पद नाम	पदस्थापित अधिकारियों का नाम	वर्तमान पद स्थापन
1	विभागाध्यक्ष	श्री ए.के. गुप्ता	सेवानिवृत्त
2	अधीक्षण अभियन्ता	श्री सुनील माथुर	सेवानिवृत्त
3	अधीषाशी अभियन्ता	श्री एच.पी.मीणा	अधीषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. सर्वे एवं गुण नियन्त्रण खण्ड बारां
4	सहायक अभियन्ता	श्री बसन्त कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड केलवाड़ा
5	कनिष्ठ अभियन्ता	रिक्त पद	-

(राजीव कपूर)  
उप वन संरक्षक  
बारां

Full Title of the Project: Mamli Laxmipura to Patpadi 1.14 ha FP/RJ/ROAD/7127/2014  
OF Forest land for upgradation Road in BARAN forest DIVISION.

File No. FP/RJ/Road/7127/2014

Date of Proposa: 04.09.2014

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer P.W.D Shahabad Baran for diversion (under FCA-1980) of 1.14 ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Road from Mamli Laxmipura to Patpadi . The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 05-03-2020.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest measuring 1.14 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.


Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.-NO

Whether any protected archaeological/ heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.-NO

(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. No

(b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions.-yes

(c) A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).

  
(राजीव कपूर)  
(Rajeev Kapoor)  
बाराँ  
Dy.Conservator of forest  
Baran

आमली जमीन का पटपट्टी सिद्ध  
 कायदा की निश्चिन्ता

संख्या १२२२

राजस्थान राजपत्र, फरवरी 17, 1953

भाग 1 (ख)

अध्याय 7, 1953

संख्या पत्र 3 (23) पत्र / 53- सूक्ति इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट जल-सुविधा तथा बंजर-भूमि में अथवा इस पर सरकार के अधिकारों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा जो जल और जल-सुविधा अतिरिक्त राज-स्थापन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (29) की उप-धारा (3) के अधीन आती की गई विस्तारित संख्या पत्र 7 (310) का के/तब दिनांक 1-1-57 के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा मन्त्र परिषदों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अन्वय में के अनुसरण, पूर्विक जल-सुविधा और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदुपरोक्त अधिनियम में कहे गये हैं।

अनुसूची

पत्र संख्या आमली जमीन का भाग 1 में 3 राजपत्र संख्या

जिला	तहसील	पत्र-संख्या	मालिका	क्षेत्रफल वर्गखण्ड या मालिका एकड़ों में			विशेष विवरण
				ख. नं.	मी.मी.	चिह्न	
1	2	3	4	5	6	7	8
कोटा	किसानगंज	आमली जमीन का भाग 1	आमली	1	44	13	
				2	26	17	
				6	79	17	
				7	37	03	
				8	38	15	
				9	65	05	
				8/236	4	15	
				8/238	1	01	
				9/239	3	03	
				9	291	18	
कोटा	किसानगंज	आमली भाग 3	जमीनदारा आमली	12	94	08	
				13	152	11	
				14	94	09	
				3	341	8	
कोटा	किसानगंज	आमली भाग 3	जमीनदारा आमली	101	143	05	
				102	256	05	
				103	59	12	
				104	101	06	
				108	14	09	
				110	3	04	
				111	94	07	
				112	40	05	
				114	7	07	
				142	7	15	
				153	15	18	
				204	54	10	
				209	87	05	
				210	15	18	
				220	92	13	
221	72	18					
11/240	1	13					
12/244	1	04					
18	1069	8	एकड़ 427.1				

भाग 1 (ख)

संख्या पत्र पर :  
 अधिनियम,  
 विज्ञापित संख्या 1

अतः :  
 एतद्वारा घोषित  
 जो कि एतदुपरोक्त

कोटा

कोटा

संख्या प.  
 पर सरकार के अधीन  
 नियम, (1953 का  
 संख्या 17882 ए

अतः :  
 सरकार एतदुपरोक्त  
 लागू होंगे जो कि

राजपत्र

जिला

1

कोटा

क्र.सं.	व	ख	ग
१७	१२४	१८	
१८	२७१	५	
१९	११०	१५	
२०	१२५	००	
२१	१३२	१३	
२२	१३०	१३	
२३	२	२	
२४	५०	१३	
२५	३०	६	
२६	१३	६	
२७	१२	६	
२८	१५	१५	
२९	१४	००	
५०	५७	१६	

योग ३० २८६५ १७ (एकड़ ११५८.३४)

क्र.सं.	व	ख	ग
२१	०	१५	
२२	७८	१६	
२३	०	१७	
२७	५२	५	
२८	५	५	

योग... ५ १३७ १८ (एकड़ ५५.१६)

क्र.सं.	व	ख	ग
१	८	७	
२	७१	१३	
३	७५	००	
४	४०	५	
५	६५	००	
६	२१	७	
७	११	८	
८	२५	५	
९	१२५	००	
१०	१२५	१०	
११	१२	१३	
१२	१८	६	
१३	१००	००	
१४	१५०	००	
१५	८३	१३	
१६	१६	००	
१७	१५	१६	
१८	१२५	००	
१९	१२५	००	
२०	५५	००	
२१	५	५	
२२	१७	००	
२३	३१	१३	
२४	६८	३	
२५	५६	१६	
२६	६५	५	
२७	१००	१८	

योग... २७ १५७६ २ (एकड़ ६३१.६४)



कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 720-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

:- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5614-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14-15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (हे०)	भूमि की क्रिस्म
1	अन्ता	विलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
		8 कित्ता	62.24		
2		सौरशन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 कित्ता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 कित्ता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(<sup>Sd</sup> डॉ. एस. पी. सिंह)  
जिला कलक्टर  
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 720-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ह।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

वन भूमि के एवज में आवंटित गैर वन भूमि का विवरण

S/2020

अंता/खण्ड	खच्छ नं	रकबा (है.)	सड़क का नाम	आवंटित भूमि (है.)	शेष भूमि (है.)
	39	13.20	ऊनी केदार कुई से सिलोरा	3.9	
			भंवरगढ़ से रनवासी	2.5	
			गोरधनपुरा से काली माटी	2.98	
			गरडा से जैसवा	3.82	0.00
	41	5	गरडा जैसवा	0.16	
			कस्बाथाना से बमनगवां	4.84	0.00
	42	6.52	कस्बाथाना से बमनगवां	0.36	
			करवरी खुर्द से बामनदेह	4.2	
			रामगढ रोड से करवरी कलां लक्ष्मीपुरा	2	0.00
	114	5	रामपुर उपरेटी से ईसाटारी	2.97	
			ख्यावदा से हरिपुरा	2	
			नेहरूपुर से झिरी	0.83	0.00
	115	9.58	नेहरूपुर से झिरी	2.37	
			जलवाडा से किशनपुरा	2.96	
			खण्डेला से हलावनी	2.05	
			माधोपुरा जैतपुरा	2.2	0.00
	116	7.70	माधोपुरा जैतपुरा	1.4	
			एन.एच-76 से धुवां	2.55	
			ढिकोनिया तलावडा	3.75	0.00
	138	10.81	ढिकोनिया तलावडा	3.75	
			कदीली लाटखेडा	2.79	
			मामली लक्ष्मीपुरा घटपडी	1.14	
			बीची रामपुर उपरेटी	2.68	0.45
अंता/ताखा	368	2.25	गोरधनपुरा से घट्टा	2.22	0.03
अंता/सोरसन	1175	19.76	एन.एच.90	8.913	
			केदारकुई से मुहाल	4.3	
			शाहाबाद राजपुर	4	2.547
	1173	19.15	कोटा धरनावदा	13.558	
			हिंगलोट से मदना खेडी	2.27	
			पाटरी भटगांव	1.50	
			बारां नाला	0.4273	1.3947

र.  
पी  
न

**वन भूमि के एवज में आवंटित गैर वन भूमि का विवरण**

वन भूमि का विवरण			वन भूमि के एवज में आवंटित गैर वन भूमि का विवरण		
अंता/सोरसन	खत्ता नं	रकबा (है.)	सड़क का नाम	आवंटित भूमि (है.)	शेष भूमि (है.)
	39	13.20	ऊनी केदार कुई से सिलोरा	3.9	
			भंवरगढ़ से रनवासी	2.5	
			गोरधनपुरा से काली माटी	2.98	
			गरडा से जैसवा	3.82	0.00
	41	5	गरडा जैसवा	0.16	
			कस्बाथाना से बमनगवां	4.84	0.00
	42	6.52	कस्बाथाना से बमनगवां	0.36	
			करवरी खुर्द से बामनदेह	4.2	
			रामगढ रोड़ से करवरी कलां लक्ष्मीपुरा	2	0.00
	114	5	रामपुर उपरेटी से ईसाटारी	2.97	
			ख्यावदा से हरिपुरा	2	
			नेहरूपुर से झिरी	0.83	0.00
	115	9.58	नेहरूपुर से झिरी	2.37	
			जलवाडा से किशनपुरा	2.96	
			खण्डेला से हलावनी	2.05	
			माधोपुरा जैतपुरा	2.2	0.00
	116	7.70	माधोपुरा जैतपुरा	1.4	
			एन.एच-76 से धुवां	2.55	
			ढिकोनिया तलावडा	3.75	0.00
	138	10.81	ढिकोनिया तलावडा	3.75	
			कदीली लाटखेडा	2.79	
			मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी	1.14	
			बीन्वी रामपुर उपरेटी	2.68	0.45
अंता/ताखा	368	2.25	गोरधनपुरा से धट्टा	2.22	0.03
अंता/सोरसन	1175	19.76	एन.एच.90	8.913	
			केदारकुई से मुहाल	4.3	
			शाहाबाद राजपुर	4	2.547
	1173	19.15	कोटा धरनावदा	13.558	
			हिंगलोट से मदना खेडी	2.27	
			पाटरी भटगांव	1.50	
			बारां नाला	0.4273	1.3947

क, शी त



जमाबन्दी (खेत्रट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र नं-26(8)  
(संविधान विभाग 163/9)  
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- बिलेण्डी  
पटवार हल्का :- मानपुरा  
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- खजूरनाकला  
तहसील :- अन्ता  
जिला :- बारां

संवत् :- 2072 - 2075  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 78  
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम  
जाति निवास के पते सहित :-

उप वन संरक्षक बारा ( वन विभाग हेतु आरक्षित )  
नामा. 190

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
✓ 39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
✓ 41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
✓ 42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
✓ 114	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
✓ 115	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
✓ 116	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
✓ 138	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
✓ 149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
कुल 8 खसारे -	62.2400		62.2400	0.00		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 26/10/2016

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण - पत्र

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

यूजर एजेन्सी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)


प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

प्रमाणित किया जाता है कि मामली लक्ष्मीपुरा से पटपड़ी के लिए प्रस्तावित मार्ग संख्या 1 चलिा रास्ते पर ही प्रस्तावित हैं जिसकी न्यूनतम लम्बाई 1.95 कि.मी. है तथा न्यूनतम वन क्षेत्र 1.14 है जबकि वैकल्पिक मार्ग नं. 2 की लम्बाई 2.11 कि.मी. है व 1.30 हेक्टर वन क्षेत्र हैं। वैकल्पिक नं. 3 की लम्बाई 2.02 कि.मी. है जिसमें वन क्षेत्र 1.21 हेक्टर है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात् त सडक का निर्माण करवाया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग संख्या 1 पर ही नयी स्वीकृत सडक बनाई

मार्ग सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)	वन भूमि की लम्बाई (कि.मी.)	वन भूमि (हेक्टर)
1	1.95	1.14	1.14
2	2.11	1.300	1.300
3	2.02	1.21	1.21

C.S  
CR  
(राजीव कपूर)  
वन संरक्षण  
अधी

  
अधिशाषी अभियंता  
अधिशाषी अभियंता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

यूजर एजेंसी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial


**CHECK LIST SERIAL NUMBER : 11**  
**CERTIFICATE FOR MINIMUM USE OF FOREST LAND**


I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD certify that the

Forest area involve in the proposal unavoidable and barest minimum forest area i.e. 1.14 ha area is proposed diversion.

Place SHAHABAD.

Date 25.02.2020

  
Signature of User Agency  
Office Seal **आधिशाली अभियन्ता**  
**सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद**

  
**(राजीव कुमार)** Counter signed by :-  
Divisional Forest Officer  
**बारा**  
..... Forest Division  
Office Seal \_\_\_\_\_

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

सूजर एजेंसी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)


प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

**CHECK LIST SERIAL NUMBER : 12**

**UNDERTAKIN FOR PAYMENT OF COST OF COMPENSATORY  
AFFORESTATION**

I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD hereby,  
undertake to pay the entire amount for compensatory afforestation in lieu of the forest  
area diverted for : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi as per  
prevailing wage rates at the time of plantation.


Place SHAHABAD.

  
Signature of User Agency

Office Seal आपराज्य अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Date 25.02.2020

Counter signed by :-

  
Divisional Forest Officer

(राजीव कुमार)

.....सम.वन Forest Division

बारों

Office Seal \_\_\_\_\_

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi  
यूजर एजेंसी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD  
प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014  
प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)  
प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial


**CHECK LIST SERIAL NUMBER : 13**  
**UNDERTAKIN FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF**  
**FOREST AREA**

I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD have applied, for diversion of 1.14 Ha. of forest area for the purpose Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi


I/We, here by undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land.  
I/We also hereby undertake to pay the additional amount of NPV. If so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place SHAHBAD.

Date 25.02.2020

  
Signature of User Agency

Office Seal अधिशाखी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

  
Counter signed by :-  
(राजीव कपूर)  
Divisional Forest Officer  
बारों  
..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_



प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi  
इंजीनियर का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)


प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

### UNDERTAKING FOR CONSERVATION OF FLORA/FAUNA DURING

I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD the user agency, hereby undertakes that, we will not disturb the Flora / Fauna around the diverted area during Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi and will take the preventive measures to minimize and avoid the any impacts on flora / fauna.

It is also further stated that responsibility of conservation for flora/fauna during Development of Road any impacts will be taken carefully by us.

Place SHAHBAD.





Signature of User Agency

Office Seal अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Date 25.02.2020

Counter signed by :-

  
Divisional Forest Officer

  
..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_

मूलर एजेन्सी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

### UNDERTAKING FOR USE OF ANY MATERIAL FROM SURROUNDED


I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD the user agency, hereby undertakes that, we will not use any type of material from nearby forest land during Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

Place SHAHABAD.

Date 25.02.2020

  
Signature of User Agency  
Office Seal अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. सुण्ड शाहाबाद

Counter signed by :-

Divisional Forest Officer  
... (राजीव कुमार) Forest Division  
उप वन संरक्षक  
Office Seal 

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi  
यूजर एजेंसी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHABAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014


प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

### UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ANY OTHER COST & CONDITION


I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHABAD is the user agency, is willing to bear the other cost and condition that will be imposed by the Forest Department; Govt. of Rajasthan for Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

Place SHAHABAD.

  
Signature of User Agency

Office Seal अधिसाधी अभियन्ता  
सा.नि.वि. मण्डल शाहाबाद

Date 25.02.2020

  
Counter signed by :-  
(राजीव कुमार)  
Divisional Forest Officer  
बारों  
..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_

प्रस्ताव का नाम : Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi

यूजर एजेंसी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHBAD

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/7127/2014 dt. 13.9.2014

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.14 ha. (Baran)


प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

### UNDERTAKING FOR WASTE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ACTIVITY

I, Ashok Sanadhya Executive engineer PWD DIV. SHAHBAD the user agency, hereby undertakes that we will use the generated waste Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi and dispose the remaining waste material outside the forest land.

Place SHAHABAD.

Date 25.02.2020

  
Signature of User Agency

Office Seal अधिशायी अभियन्ता  
सा.नि.वि. मण्डल शाहाबाद

Counter signed by:-

  
(राजीव कुमार)  
Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_